कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग
पथ प्रमंडल, मुंगेर।
अल्पकालीन पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना

1. विज्ञापन दाता – कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मुंगेर
2. परिमाण विपत्र की बिक्री की तिथि एवं समय (10.02.2012 से) – 16.02.2012 के 1:00 बजे अपराह्न तक
3. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय – 17.02.2012 के 3:00 बजे अपराह्न तक
4. निविदा खोलने की तिथि एवं समय – 17.02.2012 के 3:30बजे अपराह्न के बाद
5. परिमाण विपत्र बिक्री एवं निविदा प्राप्ति का स्थान
   1. मुख्य अभियंता (या0),दक्षिण बिहार उपभाग पथ निर्माण विभाग, पटना का कार्यालय
   2. अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पूर्व बिहार अंचल, भागलपुर का कार्यालय
   3. कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, मुंगेर का कार्यालय

कार्य का विवरण :–

क्र0 स0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि	अग्रधन की राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	कार्य समाप्ति की अवधि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	मुंगेर–डकरानाला पथ के पुराने एलायनमेंट का मरम्मति कार्य वर्ष 2011–12	₹ 24,67,348.00	₹ 49,400.00	₹ 5,000.00	25.03.2012

विशेष जानकारी के लिए कार्य अवधि में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

अन्य शर्त्ते :– पुनरीक्षित PWD Code Vol. I Rule 6 के आधार पर

1. अग्रधन की राशि – 6 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण– पत्र आठवॉ निर्गम/डाकघर जमा 3 वर्षीय या 5 वर्षीय सावधिक जमा / फिक्सडिपोजिट के रूप में पासबुक जो निविदा की तिथि से छः माह के अंदर बिहार राज्य के डाकघर से क्रय किया हो। लेकिन इसकी वैधता कार्यावधि तथा डिफेक्ट लाईवलिटि की अवधि के अन्तर्गत हो, एवं कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, मुंगेर के पदनाम से प्रतिज्ञित (प्लेज) होना चाहिए।

2. पथ निर्माण विभाग में चतुर्थ श्रेणी (स्थानीय अभिकर्त्ता श्रेणी) में निबंधन प्रमाण--पत्र (अद्यतन नवीकृत), कार्य आबंटित होने पर अद्यतन लेवर लाईसेंस (श्रमिक लाईसेन्स नवीकरण प्रमाण--पत्र जो पथ प्रमंडल, मुंगेर के लिए निर्गत हो), वाणिज्यक/बैंट निबधंन प्रमाण--पत्र, आयकर चुक्ता प्रमाण--पत्र, अद्यतन चरित्र प्रमाण--पत्र फर्म के मामले में सभी पार्टनरशीप डीड यंत्र--संयत्र एवं अन्य उपकरण की सूची एवं संबंधित प्रमाण--पत्र, तथा अभियंत्रण इकाई में कार्यरत की सूची एवं समरूप कार्य का अनुभव प्रमाण–पत्र आदि संलग्न हो। सभी प्रमाण--पत्र अद्यतन एवं सक्षम पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित होना चाहिए।

3.कार्य के परिमाण विपत्र में अंकित दर से प्रतिशत के रूप में अधिक बराबर या कम दर अंकित करना है (ध्यान रहे कि कार्य के परिमाण विपत्र में अंकित विभागीय दर से 15 पन्द्रह प्रतिशत से कम दर की निविदा मान्य नहीं होगी) दर को अंको के साथ–साथ शब्दो में भी अंकित करना है।

4. यह कार्य पथ निर्माण विभाग में चतुर्थ श्रेणी (स्थानीय अभिकर्त्ता श्रेणी) में निबधित संवेदकों को आवंटित किया जायेगा।

5. परिमाण विपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन के साथ निम्नांकित अभिलेखों की छाया प्रति राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। पथ निर्माण विभाग में चतुर्थ श्रेणी (स्थानीय अभिकर्त्ता श्रेणी) में अद्यतन नवीकृत निबंधन प्रमाण--पत्र, अद्यतन आयकर सफाया प्रमाण–पत्र, अद्यतन वाणिज्यकर/वैट निबंधन एवं अद्यतन चरित्र स्वच्छता प्रमाण–पत्र।

6. परिमाण विपत्र का मूल्य जो लौटाया नहीं जायेगा, भारतीय स्टेट बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट जो कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, मुंगेर के पदनाम से निर्गत हो तथा मुंगेर स्थित भारतीय स्टेट बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के शाखा में भुगतेय हो।

7. निर्माण सामग्रीयों के दरो में बढ़ोतरी के लिए कोई अतिरिक्त दावा मान्य नहीं होगा।

8. पुल/पुलिया/ पी0 सी0 सी0 कार्य में छड़ सीमेन्ट की व्यवस्था संवेदक को स्वयं करनी है। छड़ सीमेन्ट कय करने का प्रमाण–पत्र कार्यपालक अभियंता को प्रस्तुत करना होगा तथा कार्य में छड़ सीमेन्ट प्रयोग करने के पूर्व गुण– नियंत्रण जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी। छड़ सीमेन्ट की गुणवत्ता आई0 एस0 आई0 मानक विशिष्टियों के अनुरूप होगी।

9. निविदादाताओं द्वारा परिमाण विपत्र कय करने के पूर्व कार्यस्थल, प्राक्कलन, क्वेरी की स्थिति एवं निर्माण सामाग्रियों की उपलब्धता से संतुष्ट होने के पश्चात् ही निविदा जमा करने का परामर्श दिया जाता है.इस संबंध में बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

10. आवंटन उपलब्ध होने पर ही भुगतान किया जायेगा।

11. सशर्त्त निविदा अमान्य होगी।

12. बिना कारण बताये किसी कार्य की निविदा को रद्द करने या एक से अधिक निविदादाताओं के बीच कार्य बॉटने का अधिकार सक्षम पदाधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

13. प्राक्कलित राशि में कमी या वृद्धि हो सकती है। तदनुसार अग्रधन की राशि में कमी या वृद्धि होगी।

14. संवेदक को कार्य समाप्ति से 3 वर्ष तक संबंधित कार्यो का रख–रखाव करना होगा, जिसके लिए किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।